

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 124 / 13

संस्थापन दिनांक:-03 / 05 / 13

फाईलिंग नं. 233504001512013

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

केदार पिता रामचरण यादव,

उम्र 42 वर्ष, निवासी काजी जामठी,

थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 16.02.2018 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354, 354(क)(2) भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने 15.04.2013 को समय शाम 05:00 बजे या उसके लगभग ग्राम काजी जामठी केदारनाथ यादव के घर के अंदर थाना आमला जिला बैतूल में फरियादिया जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर बुरी नियत से फरियादी से पीछे से चिपकर दबाकर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं फरियादिया जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से फरियादी को एक बार तेरी दे दे लैगिंग उत्पीड़न की मांग की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 15.04.2013 को केदारनाथ के घर चक्की में दरिया पीसने गयी थी और दरिया पीस रही थी। तभी अचानक केदारनाथ आया और बुरी नियत से उसे पकड़ लिया तथा उससे लैगिंग सहयोग के लिए मांग करने लगा। जब वह छुड़ाकर बाहर आयी तथा केदारनाथ द्वारा की गयी घटना की बात अपनी जेठानी को बताने लगी तो अभियुक्त ने उससे तथा जेठानी से झगड़ा किया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 92/13 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो चुका है परंतु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 354, 354(क)(2) भा0दं0सं0 के आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादिया जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर बुरी नियत से फरियादी से पीछे से चिपकर दबाकर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
2. क्या घटना, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादिया जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से फरियादी को एक बार तेरी दे दे लैगिंग उत्पीड़न की मांग की ?
3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

**विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 का निराकरण**

6 फरियादिया (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि घटना के दिन वह अभियुक्त के घर पर हाथ भट्टी की चक्की पर दलिया पिसवाने गयी थी। अभियुक्त घर के आंगन पर खड़ा था उसने अभियुक्त से पूछा कि घर पर कौन है तो अभियुक्त ने कहा कि माताराम है। वह अभियुक्त के घर के अंदर चली गयी तभी अचानक से अभियुक्त ने बुरी नीयत से पीछे से पकड़ लिया। उसने हाथ झटका और चिल्लाने लगी, तभी भागवती बाई ने आवाज सुनकर उससे पूछा कि क्या हुआ, तब उसने घटना की जानकारी अपनी जेठानी भागवतीबाई को दी।

7 धन्नू (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि वह घटना के समय खेत पर था। छोटी लड़की ने फोन करके बोला कि अभियुक्त के साथ मां का झगड़ा हो गया है। जब वह घर आया तो उसकी पत्नी ने उसे यह बताया कि अभियुक्त ने उसे पीछे से पकड़ लिया था और जब उसने चिल्लाया तो भागवतीबाई मौके पर आ गयी थी। भागवतीबाई (अ.सा.-3) ने वह घटना के समय खेत की ओर जा रही थी। तभी उसे अभियुक्त के घर से उसकी

देवरानी/फरियादी की चिल्लाने की आवाज आयी। जब उसने पूछा तो फरियादी ने बताया कि वह अभियुक्त के घर दलिया पिसवाने आयी थी। अभियुक्त ने उसे पीछे से पकड़ लिया था।

8 बाबूलाल पवार (अ.सा.-5) ने दिनांक 15.04.2013 को पुलिस थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) लेख किया जाना एवं उक्त दिनांक को ही मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी-4) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है।

9 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा शेष साक्षीगण एक ही परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं। साथ ही साक्षीगण के कथनों में परस्पर विरोधाभास है तथा फरियादी के कथन अभियोजन कथा के अनुरूप नहीं है जिससे अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

10 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी कलसियाबाई (अ.सा.-4) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः अभियोजन को साक्षी से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होती है।

11 बचाव अधिवक्ता का यह तर्क कि प्रकरण में शेष साक्षीगण एक ही परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **वीरेंद्र पोददार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 233** में यह प्रतिपादित किया गया है कि रिश्तेदारी किसी गवाही की साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकती है। ऐसे गवाह की साक्ष्य की सावधानी से छानबीन अपेक्षित है। अतः उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि उनके कथनों पर विश्वास करके अभियोजन का मामला प्रमाणित पाया जाता है अथवा नहीं ?

12 फरियादी (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह अभियुक्त के घर दलिया पिसवाने के लिए गयी थी। जब वह अभियुक्त के घर के अंदर गयी तो अभियुक्त ने पीछे से आकर बुरी नीयत से उसे पकड़ लिया था।

जब उसने चिल्लाया तो उसकी देवरानी भागवती आवाज सुनकर मौके पर आ गयी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि घटना के समय अभियुक्त की मां घर पर ही थी। उसकी अभियुक्त की मां से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि घटना किसी ने नहीं देखी थी। स्वतः कहा कि जेठानी भागवतीबाई ने देखी थी। भागवतीबाई उसके चिल्लाने पर घर के अंदर आयी थी और अभियुक्त को अलग किया था। इसके बाद झूमा झटकी हुई थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 08 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने रिपोर्ट लिखाते समय केवल इतना बताया था कि अभियुक्त ने पीछे से पकड़ लिया था इसके अलावा और कोई बात नहीं लिखायी थी। साक्षी ने स्वतः कहा कि धक्का देने वाली बात लिखायी थी। अभियुक्त ने उसे पीछे से पकड़ा था, उसकी जेठानी ने हाथ पकड़कर अलग किया था। साक्षी ने यह बताया है कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। उसे लैंगिक सहयोग समझता नहीं है और पुलिस को भी यह नहीं बताया था कि अभियुक्त ने लैंगिक सहयोग की मांग की थी।

13 धनू (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में घटना की जानकारी उसकी पत्नी/फरियादी के द्वारा दी जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसकी लड़की ने फोन करके यह बताया था कि मां का और अभियुक्त का झगड़ा हो गया है। जब वह मौके पर आया तो गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। इसके बाद साक्षी ने कहा कि अभियुक्त कंदारनाथ मौके पर नहीं था। गांव के किसी भी व्यक्ति ने घटना के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए नहीं बोला। घटना के बारे में उन लोगों ने किसी को बताया भी नहीं था। उसकी पत्नी ने थाने में रिपोर्ट की और थाने में ही उसे घटना की जानकारी लगी। इसके बाद साक्षी ने कहा कि उसे घटना के बारे में घर पर ही बता दिया था।

14 भागवतीबाई (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह फरियादी की आवाज सुनकर अभियुक्त के घर पहुंची तब उसे फरियादी ने बताया कि अभियुक्त ने गलत नीयत से पकड़ लिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि वह घटना के समय खेत जा रही थी। चिल्लाने की आवाज आयी तब उसने देखा। इस सुझाव को सही बताया है कि जब वह मौके पर पहुंची तो अभियुक्त पलंग पर बैठा था। बाद में साक्षी ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ था, वह घर के अंदर गयी और अभियुक्त को पकड़ा। फिर साक्षी ने कहा कि उसने अभियुक्त को नहीं पकड़ा था। स्वतः में कहा कि जब फरियादी चिल्लाकर निकली तब उसने अभियुक्त को देखा था। इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने अभियुक्त को फरियादी से अलग किया था।

15 फरियादी ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन नहीं किये हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा फरियादी से लैंगिक सहयोग की मांग किया जाना लेख है और फरियादी से स्वयं को छुड़ाकर बाहर आने पर ६

टटना की जानकारी जेठानी भागवंतीबाई को दी जाना लेख है। प्रकरण में समस्त साक्षियों के कथनों पर परस्पर विरोधाभास है। फरियादी ने भागवंतीबाई के द्वारा घटना देखी जाना बताया है। अभियुक्त के घर के अंदर आकर उसे अभियुक्त से अलग किया जाना बताया है। जबकि भागवंतीबाई ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने अभियुक्त को फरियादी से अलग किया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने अभियुक्त को नहीं पकड़ा था। प्रकरण में भागवंतीबाई ने स्वयं को चक्षुदर्शी साक्षी बताया है लेकिन साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वयं के कथनों में स्थिर नहीं है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में अपने कथनों को सुझाव दिये जाने पर बदला है। साथ ही फरियादी ने अभियुक्त के द्वारा लैंगिक सहयोग के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। साथ ही फरियादी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। फरियादी के कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस कथनों के अनुरूप नहीं है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

### विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

16 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर बुरी नियत से फरियादी से पीछे से चिपकर दबाकर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा फरियादिया जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से फरियादी को एक बार तेरी दे दे लैगिंग उत्पीड़न की मांग की। फलतः अभियुक्त केदार को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354(क)(2) के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

17 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)